ISSN 2348 - 7674

Research Innovator

International Multidisciplinary Research Journal

Vol III Issue I : February - 2016

Editor-In-Chief
Prof. K.N. Shelke

www.research-chronicler.com

Research Innovator

ISSN 2395 – 4744 (Print); 2348 – 7674 (Online)

A Peer-Reviewed Refereed and Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

Volume III Issue I: February – 2016

Editor-In-Chief

Prof. K.N. Shelke

Head, Department of English,
Barns College of Arts, Science & Commerce, New Panvel (M.S.) India

Editorial Board

Dr. A.P. Pandey, Mumbai, India
Dr. Patricia Castelli, Southfield, USA
Dr. S.D Sargar, Navi Mumbai, India
Christina Alegria, Long Beach, USA
Prin. H.V. Jadhav, Navi Mumbai, India
Dr. Adrianne Santina, McMinnville, USA
Prof. C.V. Borle, Mumbai, India
Dr. Nirbhay Mishra, Mathura, India

Advisory Board

Dr. S.T. Gadade

Principal, C.K. Thakur College,
New Panvel, India

Dr. R.M. Badode

Professor & Head,
Department of English,
University of Mumbai, India

Dr. G.T. Sangale

Principal, Veer Wajekar College,
Phunde, India

Research Innovator is peer-reviewed refereed and indexed multidisciplinary international research journal. It is published bi-monthly in both online and print form. The Research Innovator aims to provide a much-needed forum to the researchers who believe that research can transform the world in positive manner and make it habitable to all irrespective of their social, national, cultural, religious or racial background.

With this aim Research Innovator, Multidisciplinary International Research Journal (RIMIRJ) welcomes research articles from the areas like Literatures in English, Hindi and Marathi, literary translations in English from different languages of the world, arts, education, social sciences, cultural studies, pure and applied Sciences, and trade and commerce. The space will also be provided for book reviews, interviews, commentaries, poems and short fiction.

-:Subscription:-

	Indian Individual / Institution	Foreign Individual / Institution
Single Copy	₹ 600	$40
Annual	₹ 3000	$200
Three Years	₹ 8000	$550

-:Contact:-

Prof. K.N. Shelke

Flat No. 01,
Nirman Sagar Coop. Housing Society,
Thana Naka, Panvel, Navi Mumbai. (MS), India. 410206.knshelke@yahoo.in

Cell: +91-7588058508

Research Innovator

A Peer-Reviewed Refereed and Indexed International Multidisciplinary Research Journal

Volume III Issue I: February – 2016

CONTENTS

Sr. No.	Author	Title of the Paper	Page No.
1	Prof. Mahmoud Qudah	Diglossia: A Linguistic Phenomenon of Arabic in Jordan	1
2	Dr. Raja Ram Singh	Globalization: Myth and Reality	9
3	T. Avinash	The Discourse of Meaning, Truth and Reality: Postmodern interpretation of Two Texts	15
4	Sachin Ramesh Labade	Motion pictures in English teacher education in India	20
5	Ms. Mansi D. Chauhan	Transcending Geographical Borders and Gender Boundaries: A Focus on *The Mango Season* by Amulya Malladi	26
6	Dr. Shivaji Sargar & Shaikh Aashiq Arshad	A Study of Fate and Irony in Salman Rushdie's *The Prophet's Hair*	31
7	Dr. Gagan Bihari Purohit	Poetry of Possession: A Study of C.L. Khatri's Poetry	36
8	Zinat Aboli	Postmodernist Themes and Techniques in Cinema	51
9	येलेना ईगोरेव्ना रुदेंको	भारत और कज़ाकिस्तान में पर्यावरण स्थिती तथा सुरक्षा	56
10	सौ. प्राची प्रशांत शेठ प्रा. डॉ. समीर बुटाला	महाड मधील सामाजिक जिवनात चहाचे स्थान व महत्व	67

भारत और कज़ाकिस्तान में पर्यावरण स्थिती तथा सुरक्षा

येलेना ईगोरेव्ना रुदेंको
पी॰एच॰डी॰(भारतविद्या), शोध कार्यकर्त्ता, र॰ब॰ सुलैमेनोव नामक प्राच्यविद्या संस्थान, अल्माती, कज़ाकिस्तान

सारांश

वर्त्तमान मानव—जाति की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्याओं में पर्यावरण एवं पर्यावरण—सुरक्षा की समस्याओं का खास स्थान ही है। आखिर बहुत लोगों की समझ में यह बात आयी कि उन समस्याओं को बिना निश्चित करने कोई भी देश कुछ आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक सफलता नहीं मिल पाएगा। आज—काल अनेक व्यक्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आह्वान सुनाई पड़ते हैं कि पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों पर उचित ध्यान देना चाहिये। परन्तु इन पर्रावरण मामलों को ठीक प्रकार निश्चित करने के लिए इनके बारे में बहुत कुछ जानना है ताकि वे लोग जो अपने जीवन या कार्य में इन मामलों से काफी दूर हैं पर्यावरणीय समस्याओं के कारण, सार और निपटारे की कोई जानकारी भी पा सकें।

लेकिन भारतवासियों को भारत में होती पर्यावरण—स्थिती के बारे में सुनाना या कज़ाक लोगों से इनके देश में होती पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में कुछ कहना — यह तो बिलकुल काफी नहीं है। जैसे भारतीय वैसे कज़ाक लोग “अपनी” व्यवस्थाओं और समस्याओं से थोड़ा परिचित तो हैं इसलिए इन लोगों को दोनों भारत एवं कज़ाकिस्तान में पर्यावरण—स्थिती की जानकारी देना चाहिये। तब शायद भारत और कज़ाकिस्तान में होती पर्यावरणीय मामलों तथा सुरक्षा की तुलना करना और अच्छी बात है?

मूल शब्द — पर्यावरण, प्रकृति—सुरक्षा, परिवेष्टक चिंतनधारा, पारिस्थितिक विधान, सुरक्षित क्षेत्र

१॰ भारत और कज़ाकिस्तान में पर्यावरण—सुरक्षा की परंपराएँ (ऐतिहासिक दृष्टी)

पृथ्वी पर रहती हुई प्राय: सब जातियों की पर्यावरण—सुरक्षा परंपराएँ सदियों पुरानी हैं। मानव समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था में ये परंपराएँ इन बातों से संबंधित थीं कि लोग स्वयं को प्रकृति का एक भाग मानते थे, गणचिह्न (पशु—पूर्वज) पर भरोसा रखते थे, सभी प्राकृतिक तत्वों को जीवित तथा आध्यात्मिक समझते थे।

उदाहरण के लिये, कज़ाक लोगों के पूर्वज — त्युर्क लोग — इस बात पर विश्वास करते थे कि “चिंगील” नामक झाड़ी में मृतकों की आत्माएँ रहते हैं जिस के कारण इन झाड़ियों को काटना मना था। प्राचीन हिन्दू—ईरानी

जनजातियाँ जो दोनों भारतीय (आर्य जैसे) और कज़ाक (शका जैसे) लोगों के पूर्वज थे पहले अपने देवताओं की उपासना विभिन्न पशुओं की शकल से ही करते थे। हिन्दू—ईरानी लोग एक प्रकार के अरने साँड (फिर बैल) की, दो कूबड़वाले ऊँट (इन्द्र और वर्त्राग्न जैसे) की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त आर्य गाय एवं घोड़े की तथा शका घोड़े एवं भेड़े की पूजा करते थे। शका अपने गणचिह्न भेड़िया मानते थे और उकाब या श्येन को सूर्यदेव कहते थे।

मगर जनसंख्या की बढ़ती तथा सभ्यता में उन्नति के साथ लोग प्रकृति पर थोड़ा कम ध्यान देना लगे। काँस के युग में ही शकों के संभव पूर्वज — अन्द्रों लोगों ने, जिन को विद्वान "प्राचीन धातुविद्'' कहलाते है — धातु पिघलाने के लिये लकड़ी की ज़रूरत के कारण उत्तर कज़ाकिस्तान में विस्तृत वनक्षेत्र नष्ट कर लिए। बाद में, लोहे के युग में पश्चिम कज़ाकिस्तान के क्षेत्र पर रहे हुए सर्मत लोगों ने, जिनका प्रमुख धंधा पशुपालन था, चरागाह बनाने के लिये बहुत जंगल भी काट लिए। अभी तक पश्चिम कज़ाकिस्तान में जंगलों की सख्त कमी है।

विद्वानों का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान में ही उत्तर—पश्चिमी भारत में एक प्रकार का पारिस्थितिक प्रलय घटित हुआ था। किंतु यह निस्संदेह है कि हिन्दुस्तान में आर्य जनजातियों के आगे दखल तथा खेतीबारी के उद्देश्य से उनके द्वारा की जाती हुई वन—कटाई ने प्रकृति पर खराब असर भी डाला। सौभाग्यवश ईसा पूर्व की ६ शताब्दी में भारत में पैदा हुए जैनमत एवं बुद्धधर्म ने "अहिंसा" नामक की अपनी अवधारणा की सहायता से धर्म—दर्शन और ऊँचे स्तर की प्राकृतिक विचारधारा विकसित कर दी थी। ये दोनों धर्म लोगों को यह बात समझाते थे कि संसार में जो जीवित—प्राणी मौजूद हैं — वे सभी मनुष्य के बराबर हैं क्योंकि मनुष्य के साथ ही मोक्ष और निर्वाण तक पहुँच सकते हैं। बुद्धधर्म के अनुसार किसी प्राणी को जान—बुझकर मारना सख्त मना है और जैनों के लिये किसी प्राणी की अनजान हत्य भी भारी दोष है।

ईसा से ढाई सौ साल पूर्व महान् सम्राट् अशोक मौर्य जो बौध धर्म के अनुयायी थे यह बात समझते थे कि समाज की ज़रूरतों को पर्यावरण—सुरक्षा के उपायों के साथ विधायी रूप से संयुक्त करना आवश्यक है। इस प्रश्न से संबंधित उनकी प्रथम लिखित राजाज्ञा में प्रकृति के सभी पहलुओं की रक्षा घोषित की थी। अशोक की इस तथा दूसरी राजाज्ञाओं में अनेक जानवरों (चींटी से लेकर हाथी तक) और पेड़—पौधे (जैसे संदल/चंदन) की सुरक्षा, सुरक्षित उद्यानों की स्थापना, जानवरों के लिये जड़ी—बूटी लगाने तथा उनके इलाज करने के बारे में विशेष अनुच्छेद लिखे गये थे। जंगलों की रक्षा पर खास ध्यान दिया गया था। थोड़े शब्दों में यह कहना है कि अशोक की राजाज्ञाओं में जो अवधारणा घोषित हुई थी वह आधुनिक पर्यावरण—सुरक्षा के सिद्धांतों से मिलती—जुलती है। (दिलचस्पी की बात यह भी है कि अशोक के दादा सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य हाथियों तथा उनके रहने के इलाकों की सुरक्षा भी करते थे)।

ईसवीं सन् के आरंभ में कज़ाकिस्तान के क्षेत्र पर पर्यावरण—सुरक्षा की स्थिती

भी अधिक अच्छी हो गयी। उसी समय कज़ाकिस्तान में रहे हुए तुर्क लोग प्रकृति—भक्त थे। ऐतिहासिक अनुसंधान के अनुसार तुर्क सभ्यता संस्कृति के विश्वकेंद्रित ढंग पर आधारित थी जिसका मतलब यह है कि मनुष्य केवल कुल वातावरण के साथ ही रह सकता है जिसके अंदर में सभी जीवित—प्राणी समान ही हैं। अभी तक कज़ाक लोग कहते हैं "हर एक वस्तु एवं प्राणी तुम्हारी कार्रवाई के बारे में तुमसे कुछ भी पूछ सकता है"।

दसवीं शताब्दी में जब कज़ाकिस्तान के क्षेत्र में मुसलमानियत फैली तो उसने कुछ विधर्मी तत्व नष्ट करने और मनुष्य—केंद्रित अवधारणा लाने के साथ एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत ले आया जिसके अनुसार मनुष्य ही प्रकृति के कुशल—क्षेम के लिये अल्लाह के सामने उत्तरदायी है: "अल्लाह ने सभी प्राणियों को उचित संतुलन में पैदा किया तथा मनुष्य इन प्राणियों का प्रबंधकर्त्ता होने पर भी इनका स्वामी नहीं है"। अर्ध—आख्यानिक कज़ाक ऋषि असान कायगी उपदेश देता था: "जो जीवित है — इन सभी पर दया करना, सभी का गुण मानना तथा सभी का सम्मान करना चाहिए।

भारत में ब्राह्मणधर्म और दूसरे प्राचीन धर्मों के आधार पर हिन्दूमत बना था जिसमें पर्यावरण—भक्ति तथा पर्यावरण—सुरक्षा की अवधारणाएँ पैदा हुईं। उदाहरण के लिये, इन अवधारणाओं में उपनिषद् का यह सिद्धांत है कि ब्रह्मन् (परमतत्व) के अंदर में मनुष्य और प्रकृति में कोई भेद नहीं होता अत: जब मनुष्य प्रकृति बरबाद कर रहा है तब वह अपने अपको नष्ट करता है। इस समय तक पवित्र जानवरों एवं पेड़—पौधों की प्राचीन पूजा दोनों धार्मिक तथा दार्शनिक रूप में सुदृढ़ बनायी गयी थी।

लगभग दसवीं सदी से भारत में जो अरबी, अफगान, तुर्क लोग और इनके बाद मुग़ल आ गये वे पर्यावरण—स्थिती तथा हिन्दुओं की पर्यावरण—भक्ति नहीं बिगाड़े। मुसलिम सम्राटों का शिकार पहले के हिन्दू सम्राटों के शिकार से ज़्यादा बड़े और बुरे नहीं थे। इसके अतिरिक्त याद करना है कि मुग़ल सम्राट् बबूर और खास तौर पर जहानगीर पर्यावरण में रूचि रखकर उसका अध्ययन खुद करते थे।

लेकिन जब भारत और कज़ाकिस्तान उपनिवेश बन गये तो इन दोनों देशों में पर्यावरण—स्थिती फिर से खराब हो गयी। तथापि रूसी साम्राज्य में कज़ाकिस्तान शामिल करने के बाद पहले आनेवाले रूसी लोग कज़ाकिस्तान में जो करते थे, वह मोटे तौर पर सामरिक महत्त्व का एवं अनुसंधान का कार्य था। वे कज़ाक प्रकृति का अन्वेषण करते थे तथा नये शहरों को स्थापित करके वहाँ बहुत से पेड़—पौधे लगाते थे।

इसके विपरीत अँग्रेज़ी लोग जहाँ तक भारत में घुसते जाते थे यहाँ तक इस देश के मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का सख्त शोषण करते जाते थे। जाहिर है कि भारतीय प्रकृति के प्रथम वैज्ञानिक (युरोपीय दृष्टि से) अनुसंधान तथा कोई सुरक्षित उद्यानों की स्थापना अँग्रेज़ों ने ही किये। मगर उनका यह अच्छा कार्य उनके बुरे काम की तुलना में समुद्र में एक बूँद जैसा था। कृषिगत कच्चा माल और धन पाने के लिये वे जंगलों को काटते रहते थे ताकि इनके

स्थान पर विभिन्न औद्योगिक एवं विक्रेय फसलें उगायें। इन जंगलों के पुनरुत्थान की बात अँग्रेज़ों ने नहीं सोची। इन सभी बातों के कारण भारतीय प्रकृति को अपूर्य हानि पहुँचायी गयी थी। अँग्रेज़ों के भीषण शिकार भी उदास दृष्टि से विख्यात हैं। इस तरह जब सन् १९४७ में वे लोग भारत छोड़कर गये तो इनके शासन खतम होने के बाद भारत में कुछ उद्यान, भारतीय प्रकृति पर कोई वैज्ञानिक कृतियाँ तथा सरगर्म—अधिकारियों से बनायी गयी पर्यावरण—संस्थाओं के साथ—साथ उजाड़ प्रकृति और इतनी बरबाद अर्थ—व्यवस्था रह गयी कि इस अर्थ—व्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा विकास करने के लिये प्रकृति का आगे विनाश करना पड़ा था।

जहाँ तक कज़ाकिस्तान का संबंध है तो जब सोवियत संघ पैदा हुआ तथा कज़ाकिस्तान बीसवें सालों में उसका एक भाग (जनतंत्र) बन गया तब उसकी पर्यावरण—स्थिती में जैसे नया दौर शुरू हो गया। एक ओर से, यद्यपि यह भारत की नाजुक हालत में नहीं पड़ा, फिर भी उसकी गंभीर पर्यावरण—समस्याएँ पैदा हो गयीं। इस के संबंध में सेमिपालातिंस्क परमाणु—क्षेत्र,उत्तर कज़ाकिस्तान में अछूती ज़मीन का कृषि में लगाना तथा अराल सागर की व्रासदी सबसे उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त, कज़ाकिस्तान पूरे सोवियत संघ के कच्चे माल पाने का एक अच्छा क्षेत्र था — इस बात ने कज़ाकिस्तान की प्रकृति पर खराब असर भी डाला। परन्तु दूसरी ओर से, कज़ाकिस्तानी पर्यावरण की रक्षा करने के लिये सोवियत सरकार ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाया। सोवियत संघ में बीसवीं सालों के अंत से जो पर्यावरण—सुरक्षा के कानून अमल में लाये जाते थे वे कज़ाकिस्तान जनतंत्र में भी जारी होते थे। उसी समय से स्वीकृत हुए पर्यावरण पत्रों के आधार पर सन् १९६२ में विशेष पर्यावरण—कानून पारित हुआ था तथा सन् १९७३ के खास पत्र द्वारा वह पर्यावरण—कानून अधिक तीव्र हो गया। इन कानूनों एवं पत्रों को अमल में लाने के लिये विभिन्न संस्थाएँ और सेवाएँ स्थापित की गयी थीं। पहले ऐसी संस्थाएँ पूरे सोवियत संघ की थीं तथा १९६३ साल में कज़ाकिस्तान ही में कज़ाक पर्यावरण—सुरक्षा समाज बनाया गया था। कज़ाक सोवियत जनतंत्र की प्रथम "लाल पुस्तक" सन् १९७८ में प्रकाशित हुई थी। कज़ाकिस्तान सोवियत संघ का एक भाग होने के समय में उनके क्षेत्र में अधिकतम उद्यान और बाकी सुरक्षित जगहें बने हुए। कज़ाक सोवियत जनतंत्र का पर्यावरण और प्राकृतिक साधनों मंत्रालय सन् १९८८ में स्थापित किया गया था (इसके पहले विभिन्न प्राकृतिक प्रश्न भिन्न पर्यावरण विभागों के अधिकार—क्षेत्र में होते थे)। इस तरह हम यह परिणाम निकल सकते हैं कि कज़ाकिस्तान अपनी आजादी पाने के पहले भी ऐसा देश था जहाँ पर्यावरण—सुरक्षा के कानूनों एवं कार्यों की एक दृढ़ नींव पड़ी थी।

२. स्वतंत्र भारत और कज़ाकिस्तान की पर्यावरण—समस्याएँ

जब भारत स्वतंत्र हो गया तो हालांकि उसके नेता, जिस में से प्रमुख स्थान श्री जवाहरलाल नेहरु का था, समझते थे कि भारत में हुई पर्यावरण—स्थिती बरबाद ही है, फिर भी उस समय वे केवल कई पर्यावरण अपील निकाल

सकते थे। उद्योग तथा कृषि विकासित करने की ज़रूरत के कारण पर्यावरण प्रश्न को कम ध्यान और पैसे मिलते थे। इसके साथ कृषि एवं उद्योग का तेज़ विकास, जिसके मुख्य उद्देश्य लोगों के अस्तित्व का सुधार तथा आगे विकास के लिये मुनाफा उठाना थे, पर्यावरण के लिये लाभदायक तो नहीं हुआ। लेकिन भारतीय इतिहास के उस दौर पर कोई और बात नहीं हो सकती। (यदि हम याद करें कि अनेक एशियाई विकासशील देशें में पर्यावरण—सुरक्षा पर कोई ध्यान बिलकुल नहीं दिया जाता है तथा ऐसी हालत अभी हाल ही में सकुशल जापान में भी थी तो उस दौर में भारतीय पर्यावरण—स्थिती इतनी अजीब नहीं लगेगी)।

भारत की "हरी क्रांति" ने इस देश में खाने—पीने चीज़ें पाने का मामला हल करके इस स्थिती तक पहुँचाया कि एक तरफ से काफी धकाधक लोग प्रकृति का अपना सख्त शोषण थोड़ा धीमा कर सके और दूसरी तरफ से पर्यावरण के मामले हल करने के लिये कुछ ज्यादा पैसे मिले। लेकिन और अधिक फसलें पाने के लिये खेतीबारी में कीटनाशकों का व्यापक इस्तेमाल हो गया। इसके अतिरिक्त तेज़ आर्थिक उन्नति प्रकृति, खास तौर पर जंगलों एवं जल साधनों, के लिये एक दाब जैसी हो गयी। "लगता है कि भारतीय पर्यावरण का ऐसा कोई दूसरा पहलू नहीं है जैसा जंगल साधन, जो भारत की ५०—वर्षीय स्वतंत्रता के अरसे में इतने निर्दयतापूर्वक उजाड़ और नष्ट किया जाता रहता था। यह बात मालूम है कि सन् १९५१ से १९७२ तक ७० प्रतिशत से अधिक वन—क्षेत्र कृषि उद्देश्य से नष्ट हुआ हैं तथा १७ प्रतिशत वन—क्षेत्र औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बाँधों एवं मार्गों के निर्माण के लिये विनाश किया गया था" (Fadia, 1997)। कृषि के तेज़ विकास ने मिट्टी के कटाव तक भी पहुँचाया। नव्वेवें सालों से होते निजी क्षेत्र का विकास तथा सरकारी नियंत्रण का ढीलापन प्राकृतिक दृष्टि से भी प्रतिकूल हो गये। इस के विपरीत कज़ाकिस्तान से आजादी प्राप्त करने के बाद बाकी पूर्व सोवियत जनतंत्रों के साथ हुए आर्थिक संबंध तोड़ने के कारण इस देश में आर्थिक पतन हो जाता था। बहुत औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बंदी के नतीजे में प्रदूषण एकदम घट गया परन्तु थोड़ी देर बाद यह "नुकसान" पूरा किया गया था। कज़ाकिस्तान के बड़े नगरों में बहुत से आयात की (विलायती) गाड़ियाँ और आदि यातायात लाये गये थे जिस से वातावरण का प्रदूषण फिर से बढ़ गया। इस के अतिरिक्त अर्थ—व्यवस्था के ऊपर सरकारी नियंत्रण के ढीलापन ने भारत में जैसे प्राकृतिक साधणों के अनियन्त्रित उपयोग (जो पूँजी के प्रारंभिक संचय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है) तक पहुँचाया। अनेक स्वदेशी प्रतिष्ठानों तथा प्रायः पूरी आर्थिक शाखाओं का निजीकरण, विशेष तौर पर विदेशी पूँजीवादियों के द्वारा, जो कज़ाकिस्तान की पर्यावरण—सुरक्षा से अधिक परेशान नहीं होते हैं, एक बुरी बात भी हो गयी। न केवल विदेशी लेकिन स्वदेशी उद्याम—कर्त्तों एवं अधिकारियों की दृष्टि से भी आर्थिक लाभ प्राकृतिक उपयुक्तता से कहीं महत्त्वपूर्ण है — इस के कारण कुछ "गौण" पर्यावरणीय औपचारिकताओं का पालन इन व्यक्तियों को ज़रूरी नहीं लगता है।

भारत की विशाल जनसंख्या से प्राकृतिक पहलू और खराब मालूम

पड़ता है। इसी दृष्टि से कज़ाकिस्तान की छोटी जनसंख्या एक अच्छी सी बात है। उदाहरण के लिये यह बात लेना है कि भारत में जंगलों का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल से लगभग २१—२२ प्रतिशत बनता है। कज़ाकिस्तान की यही संख्या ५ प्रतिशत से ज़्यादा भी नहीं है। हर एक को मालूम है कि भारत कभी वन का देश मानता है तथा कज़ाकिस्तान — स्टेपी का देश। मगर इन देशों की जनसंख्याओं में होते अंतर के कारण भारत में जंगलों का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल ०.०५—०.०७ हेक्टर है और कज़ाकिस्तान में लगभग १.४ हेक्टर (तथा विश्व—मानक के अनुसार जंगलों का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल ०.८ हेक्टर ही है)।

लेकिन अधोगामी ज़मीन के क्षेत्रफल दोनें देशों में लगभग बराबर हैं — भारत में करीब ५५ प्रतिशत ज़मीन इसी हाल में है तथा कज़ाकिस्तान में — ६६ प्रतिशत।

दोनें देशों के लिये जल—साधण की कमी एवं प्रदूषण बड़ी समस्या है। भरत में ताज़ा पानी का कुल परिमाण प्राय: १८७० घनकिलोमीटर, पानी का वार्षिक व्यय — १०.७ घनकिलोमीटर तथा जल के स्रोतों में प्रदूषकों का दैनिक फेंकना — लगभग २००० टन हैं। कज़ाकिस्तान में ताज़ा पानी का पूरा परिमाण लगभग ५२० घनकिलोमीटर (जिस से वास्तव उपयोग के लिये केवल १०८ घनकिलोमीटर सुलभ हैं), पानी का वार्षिक व्यय — २०—२५ घनकिलोमीटर तथा जल के स्रोतों में प्रदूषित पानी का फेंकना करीब ५ घनकिलोमीटर प्रतिवर्ष हैं (कज़ाकिस्तान गणतंत्र की पर्यावरण—स्थिती का राजकीय प्रतिवेदन, २०१५)।

जहाँ तक जंगली जीवन की बात है तो यह कह सकता है कि भारत में स्तनपायी जानवरों की १२० जातियाँ तथा पक्षियों की १३९ जातियाँ नायाब और लुप्त होने के खतरे में हैं। कज़ाकिस्तान की लाल पुस्तक के अनुसार इसी स्थिती में होते रीढ़ के जानवरों की १२६ जातियाँ हैं (उन में स्तनपोषित प्राणियों की ४० से ज़्यादा और पक्षियों की ३९ जातियाँ हैं)। इस के साथ भारत में रीढवाले जीव की जातियों की कुल संख्या लगभग २० हज़ार की है तथा कज़ाकिस्तान में प्राय: ८५० जातियाँ। इस तरह भारत के २.२ प्रतिशत जातियाँ नायाब और लुप्त होने के खतरे में हैं जब कि कज़ाकिस्तान में यही संख्या १४ प्रतिशत की है।

सो प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक अंतर होने के बावजूद भारत और कज़ाकिस्तान की मूल पर्यावरण—समस्याएँ लगभग बराबर हैं। इन समस्याओं के कारण एवं नतीजे काफी बराबर भी हैं। अब वास्तविक प्रश्न उठता है कि भारत और कज़ाकिस्तान इन—इन अपनी समस्याओं को किस तरह हल करते रहते हैं?

३० भारत और कज़ाकिस्तान का पर्यावरण—कानून

दोनों भारत और कज़ाकिस्तान में हुए घातक प्रकृति—उपयोग के नतीजों से यह स्पष्ट हो गया कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शीघ्र से शीघ्र विशेष वैध कदम उठाना ज़रूरी है।

हर एक को मालूम है कि किसी भी देश के सभी कानूनों का आधार उस

देश का संविधान ही है। पर्यावरण के संबंध में कज़ाकिस्तानी संविधान में यह लिखा गया है कि "राज्य ने मानव के जीवन एवं स्वास्थ्य के लिये अनुकूल पर्यावरण की सुरक्षा को अपना उद्देश्य बनाया है... कज़ाकिस्तान के नागरिक प्रकृति—सुरक्षा तथा प्राकृतिक साधनों के साथ सावधान बरताव के लिये ज़िम्मेदार हैं" (कज़ाकिस्तान का संविधान, धाराएँ ३१, ३८)। भारतीय संविधान में घोषित किया है कि देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना है, कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य — "प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे"'', अर्थात जीवित प्राणियों के साथ समवेदनाशील होने (भारत का संविधान, धाराएँ ४८क, ५१क(छ))। इस के संबंध में यह कहना ज़रूरी है कि ''प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखने" की ज़िम्मेदारी शायद सिर्फ भारतीय संविधान में ही लिखा है।

लेकिन संविधान में जो लिखा है यह तो केवल आधार है जिसके ऊपर विशेष कानून और अधिनियम बनाना चाहिए। तो सन् १९५२ में भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव की भारतीय परिषद् स्थापित हुई। उसी साल को राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम बना था क्योंकि जंगल—सुरक्षा का प्रश्न हमेशा बहुत गंभीर था। बाद में कोई कार्यक्रम भी बनाये जाते रहते थे परन्तु पर्यावरण की एक खास वैध नींव भारत में अभी तक नहीं थी। इस के बावजूद भारतीय प्रतिनिधि शुरू ही से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण—सम्मेलनों में सक्रिय भाग लेते रहते थे। भारत इन सम्मेलनों द्वारा स्वीकृत पत्रों के अनुसमर्थन करते हुए देशों में से एक था तथा कभी कुछ पत्र बनाने का प्रेरक था। १९६९ साल को दिल्ली में जो प्रकृति एवं प्राकृतिक साधनों के रख—रखाव अंतर्राष्ट्रीय परिषद् का दसवाँ सम्मेलन था वह भारत में होती प्रकृति—सुरक्षा में एक नया मोड़ जैसे हो गया। उसी सम्मेलन पर स्वीकृत पत्रों की सहायता से देश में शेर का शिकार मना था तथा पर्यावरण— सुरक्षा के मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। सन् १९५० में वन्य जीव का राष्ट्रीय कार्यक्रम बना था। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्टाकहोम में मानव—वातावरण सम्मेलन (१९७२) था, उस में स्वयं श्रीमती इंदिरा गाँधी ने अत्यंत भूमिका अदा करके विकासशील देशों के लिये बने हुए पर्यावरण कार्यक्रम को पेश किया ([3])। इसके बाद वन्य जीव की भारतीय परिषद् ने पर्यावरण की एकीभूत वैध नींव स्थापित करने के लिये कुछ सिफारिश बना दी। इन सिफारिशों के आधार पर ९ सितंबर १९७२ साल को भारत का प्रमुख पर्यावरण—कानून — "वन्य जीव की सुरक्षा कानून" — स्वीकृत किया था। सन् १९५६ में भारत लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अभिसमय (वन्य जीव और वनस्पति की), या सी. आई.टी.ई.एस., का मेंबर बन गया जिसके बाद उस कानून में कई बार संशोधन करना पड़ता था। इन संशोधनों से कानून अधिक कड़ा हो गया। १९९१ में इस कानून में वनस्पति— सुरक्षा से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया गया था (इस पर यह कहना है कि उदाहरण के लिये कज़ाकिस्तान में

वनस्पति— सुरक्षा का न तो ख़ास कानून न कोई अध्याय भी नहीं है)।

सन् १९९३ के २१ अक्तूबर को कज़ाकिस्तान में "वन्य जीव के सुरक्षा, पुनरुद्धार एवं प्रयोग का कानून'' पारित हुआ। इस कानून के कुछ सिद्धांत उपर्युक्त भारतीय कानून के कोई सिद्धांतों से मिलते—जुलते हैं। मिसाल के लिये दोनों कानूनों में नायाब तथा लुप्त होने के खतरे में होते जानवर कई वर्गों में विभाजित किये गये हैं; अनुरूप सरकारी संस्थाओं की ज़िम्मेदारियाँ बहुत पहलुओं ही में भी बराबर हैं (अंतर जो है — उसका कारण दोनों देशें की कुल शासन—व्यवस्था का फर्क है); वन्य जीव के रख—रखाव के लिये कानूनों के आधार पर उठाये जाते कदम भी काफी समान हैं। इस के साथ इन दोनों कानूनों में महत्त्वपूर्ण भेद भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिये कज़ाकिस्तानी कानून में शिकार की कुछ शर्त लिखी गयी हैं जब कि भारतीय कानून के अनुसार शिकार बिलकुल मना है; जो व्यक्ति कज़ाकिस्तानी कानून का उल्लंघन करता है उसको केवल जुरमाने की सज़ा मिलेगी तथा भारतीय कानून के उल्लंघन के लिये व्यक्ति को कैद की सज़ा दी जा सकती है।

सन् १९७४ को भारत में "जल—प्रदूषण के रोक रखने एवं नियंत्रण का कानून" तथा १९८० साल में "वन—सुरक्षा का कानून" पारित हुए। सन् १९८८ में एक नया राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम बना हुआ जो वर्त्तमान स्थिती के ज़्यादा अनुकूल है। इसके अतिरिक्त भारत में १९८१ साल में "वायु—प्रदूषण के रोक रखने एवं नियंत्रण का कानून" स्वीकृत था। इन और दूसरे कानूनों के आधार पर भारत में विशेष पर्यावरण—रक्षकी राष्ट्रीय संस्थाएँ बनती रहती थीं तथा पहले स्थापित हुई संस्थाओं के कार्य में कोई सुधार होते थे। इसी तरह जल—प्रदूषण, वायु—प्रदूषण आदि बोर्ड स्थापित हुए थे। सन् १९८५ में भारतीय प्रमुख पर्यावरणीय संस्था — पर्यावरण एवं जंगल सुरक्षा का मंत्रालय बनाया गया।

१९८८ साल को कज़ाकिस्तान में प्रकृति—सुरक्षा का मंत्रालय स्थापित हुआ था (पर १९९० तक यह मंत्रालय नहीं — सिर्फ एक समिति थी), जिस में श विभाग थे। सन् १९९१ से इस संस्था का नाम और कई बार बदला, तथा आज—कल आर्थिक संकट और इस से वित्त—न्यूनता की वजह से यह फिर से केवल ऊर्जा मंत्रालय के भीतर एक तेल—और—गैस के समुच्चय में पारिस्थितिक विनियमन, नियंत्रण और राष्ट्रीय निरीक्षण समिति है। अभी तक उसकी बनावट युरोपीय पारिस्थितिक मंत्रालयों की बनावट जैसी है।

सन् १९८९ में भारत में "पर्यावरण—सुरक्षा कानून" पारित हुआ। ऐसा कानून कज़ाकिस्तान में सन् १९९७ को पारित हुआ। यह कहना चाहिये कि इन दोनों कानूनों में बहुत समान बातें होने पर भी भारतीय कानून कज़ाकिस्तानी कानून की तुलना में छोटा लेकिन अधिक कड़ा ही है।

१९९२ साल में दोनों भारत और कज़ाकिस्तान रियो—द—जनेरियो में हुए पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेते थे। इन दोनों देशें के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन के कई महत्त्वपूर्ण पत्रों पर अपने हस्ताक्षर किये। इसके अतिरिक्त सन् १९९१ में अपनी आज़ादी पाने के बाद

कज़ाकिस्तान ने भारत जैसे बहुत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय पत्रों पर हस्ताक्षर किया। इन पत्रों में औज़ोन; ब्रवदमद्ध परत सुरक्षा का वियना समझौता, सी.आई.टी.ई.एस. का समझौता, प्रवासी जानवरों की सुरक्षा का बोन समझौता आदि हैं (जैव—विविधता के सुरक्षा तथा बुद्धि—संगत उपयोग का राजकीय विवरण, १९९८)। यह बात उल्लेखनीय है कि सन् १९८६ में भारत और सोवियत संघ (जिसका भाग तत्कालीन कज़ाक सोवियत जनतंत्र था) ने प्रवासी पंछियों की सुरक्षा का दोपक्षीय समझौता ही किया। इस तरह यह कहना संभव है कि दोनों भारत और कज़ाकिस्तान अनेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण—समझौतों के हस्ताक्षर करनेवाले देश हैं।

४० भारत और कज़ाकिस्तान के सुरक्षित क्षेत्रों का विधान

इन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण—समझौतों तथा स्वदेशी अधिनियमों—कानूनों के आधार पर बहुत कुछ पर्यावरणीय कार्य किये जाते हैं। इन कार्या में से विशेष सुरक्षित क्षेत्रों एवं उद्यानों की स्थापना अति महत्त्वपूर्ण है। (इस प्रश्न पर ध्यान देने से पहले यह बात स्पष्ट करना चाहिए कि भारत में जो क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क माना जाता है वह कज़ाकिस्तान में उद्यान जैसा होता है तथा कज़ाकिस्तान का राष्ट्रीय पार्क भारतीय उद्यान जैसा होता है; दूसरे शब्दों में कज़ाकिस्तान का सबसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्र उद्यान ही होता है)।

भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क तथा उद्यान बीसवीं सदी के ५०—६०वें सालों में स्थापित किये गये थे। लेकिन उस समय उनकी संख्या छोटी थी। जब कि सन् १९७२ में "वन्य जीव की सुरक्षा कानून" पारित था तब देश में प्राय: १३५ विशेष सुरक्षित क्षेत्र थे; सन् १९८१ में उनकी संख्या २२१ तक बढ़ गयी। १९८२ साल में श्रीमती इ,गाँधी ने वन्य जीव की भारतीय परिषद् के सामने २ मुद्दों की कार्य—योजना" प्रस्तुत की थी जिसका मुख्य उद्देश्य था वैज्ञानिक रूप से स्थापित और संचालित विशेष सुरक्षित क्षेत्रों का जल बनाना। सन् १९८३ तक ऐसे क्षेत्रों की संख्या २५१, सन् १९८८ तक — ४६१, सन् १९९२ तक — ४८९, सन् १९९८ तक — ५३०, सन् २००१ तक — ५७२, सन् २०११ तक — ६६१ तथा सन् २०१६ तक — ७३० तक बढ़ गयी (जिन में से आज—कल १०३ राष्ट्रीय पार्क, ५३५ वन्यजीव अभ्यारण, ६६ संरक्षण स्थान और २६ सामुदायिक रक्षित स्थान हैं) । इन विशेष सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या आज तक भी बढ़ जाती रहती है। इस तरह ऐसे क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल १६०.९ हज़ार वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है यानी देश के पूरे क्षेत्रफल से ४.८८ प्रतिशत तथा जंगलों के क्षेत्रफल से २३ प्रतिशत (Protected Areas of India, 2016)। इस के साथ भारतीय पर्यावरण—प्रतिपालक समझाते हैं कि राष्ट्रीय पार्कों की संख्या १४८ से कम नहीं होनी चाहिए ताकि इनका कुल क्षेत्रफल देश के पूरे क्षेत्रफल से ५ प्रतिशत से कम न हो; सभी विशेष सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या १६०० तक ही बढ़ानी चाहिए (Khati, 1998)।

सन् १९८४ में कज़ाकिस्तान में ७ वन्यजीव अभ्यारण थे जो १९२६ से १९८४ तक स्थापित किये गये थे। १९८५ साल में कज़ाकिस्तान में प्रथम राष्ट्रीय पार्क बना था। आज—कल

कज़ाकिस्तान में केवल १० वन्यजीव अभ्यारण तथा १२ राष्ट्रीय पार्क मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त कज़ाकिस्तान में २६ राष्ट्रीय प्रकृति—स्मारक, ३ चिड़ियाघर (भारत में — लगभग २००), ५ वनस्पति—बाग, अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की ३ दलदल और राष्ट्रीय महत्त्व के १५० जलाशय तथा बाकी रूप के ६२ विशेष सुरक्षित क्षेत हैं। इस तरह कज़ाकिस्तान में ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या २७० है, इनका क्षेत्रफल देश के पूरे क्षेत्रफल का २,३८ प्रतिशत बनाता है। इस में वन्यजीव अभ्यारणों एवं राष्ट्रीय पार्कों का क्षेत्रफल — ३९९०० वर्ग किलोमीटर है यानी देश के पूरे क्षेत्रफल से १.४६ प्रतिशत (कज़ाकिस्तान गणतंत्र की पर्यावरण—स्थिती का राजकीय प्रतिवेदन, २०१५)। कज़ाकिस्तान की सरकारी योजना के अनुसार सन् २०३० तक देश में और १७ वन्यजीव अभ्यारण तथा १५ राष्ट्रीय पार्क तथा ६५ प्रकृति—स्मारक बनाना है (कज़ाकिस्तान गणतंत के विशेष सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों सन् २०३० तक के विकास तथा रखने की योजना, २०००)। कज़ाकिस्तान की जनसंख्या तथा प्राकृतिक विविधता भारतीय जनसंख्या और प्राकृतिक विविधता की तुलना में छोटी होने पर भी कज़ाकिस्तान के विशेष सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या अस्वीकरणीय रूप से ही कम है।

विशेष सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के साथ—साथ वन्य जीव के रख—रखाव के लिए दोनों देशों में खास कार्य एवं योजनाएँ अमल में लाते रहते थे। उदाहरण के लिये भारत में १९७३ साल से ‘‘शेर” नामक अभूतपूर्व परियोजना कार्यान्वित होने लगा जिसमें भारतीय सरकार के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ भी पूँजी लगाते थे। सन् १९७२ से “गीर वन” में सिंह की सुरक्षा होती थी, सन् १९७५ से उड़ीसा में मगरमच्छ की तीन प्रजाति (जिन में से घड़ियाल भी है) पालते थे, सन् १९८६ से आसाम में गैंडे का रख—रखाव होता था तथा सन् १९९२ से “हाथी” नामक परियोजना जारी रहती है। इसके अतिरिक्त भारत में लंगूर, बर्फी तेंदुआ, बारहसिंगा, बनैला भैंसा और बाकी जानवर सुरक्षित होते हैं। जानवरों की सुरक्षा के साथ ही उनके रहने के स्थानों (जंगलों, नदियों, घाटियों, झीलों आदि) की सुरक्षा—योजनाएँ भी बनायी जाती थीं जैसे “सरदार सरोवर परियोजना”, “नर्मदा घाटी की परियोजना” इत्यादि।

कोई लोग प्राचीन भारतीय रिवाजों—परंपराओं की आलोचना करते हैं तथा पिछड़े हुए भारतीय कबीलों के नैतिक विकास की ज़रूरत के बारे में कहते हैं। परन्तु ऐसे कबीले ही वन्य जीव की महत्त्वपूर्ण और अमूल्य रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिये राजास्थान के एक कबीले ने मृग की एक नायाब प्रजाति अपनी संरक्षकता में ली। विश्व—विख्यात चिपको आंदोलन ने हिमालयी वनों की रक्षा के लिये बहुत कुछ किया। वैसे इन ‘‘अविकसित” लोगों के पर्यावरणीय अनुभव का ग्रहण अनेक विकसित देशों द्वारा किया जाता है।

कज़ाकिस्तान के कई उद्यान भी जानवरों के विशेष प्रजातियों की रक्षा के लिये बनाये जाते थे। इसके संबंध में दो मिसाल देना चाहिए। पहले, यह तो कास्पियन सागर में स्थित बर्साकेल्मेस द्वीप पर ‘‘कुलान” नामक बनैले गंधों

का अभूतपूर्व कृत्रिम जलवायु—अनुकूलन; बाद में वे जानवर इस द्वीप से कज़ाकिस्तान के दूसरे इलाकों में प्रवासित थे। दूसरे , यह "सैगाक" नामक मृगों का बचाव। वे नायाब जानवर बिलकुल नष्ट होनेवाले थे जब सन् १९१९ में उनकी सुरक्षा के लिये ख़ास कानून पारित किया गया था तथा सन् १९४८ तक उनकी संख्या बिलकुल बड़ी हो गयी। उस समय प्रसिद्ध जर्मन प्रकृति—प्रतिपालक ब, ग्रजीमेक ने सैगाक का यही बचाव "कज़ाकिस्तान का चमत्कार" कहला दिया।

इस तरह, दोनों भारत और कज़ाकिस्तान में पर्यावरण—सुरक्षा के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाये जाते रहते हैं। दोनों देश एक दूसरे के अनुभव का ग्रहण कर सकते हैं तथा इस क्षेत्र में आपसी सहयोग का पूरा विकास कर सकते हैं। क्योंकि पर्यावरणीय सहयोग राजनीतिक या आर्थिक सहयोग से कम कभी नहीं होता। प्रकृति एक ही है। यदि हमारे संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप हर देश में प्रकृति का एक छोटा स हिस्सा भी सुरक्षित हो तो इस बात में हमारा कुल योगदान अमूल्य ही होगा।

सन्दर्भ:

1. Fadia, B.L. (1997). *Indian Government and Politics*. Agra: Sahitya Bhavan Pub. P. 849.
2. कज़ाकिस्तान गणतंत्र का ऊर्जा मंत्रालय (२०१५). *कज़ाकिस्तान गणतंत्र की पर्यावरण—स्थिती का राजकीय प्रतिवेदन.* वेब ९ सितंबर २०१५, http://energo.gov.kz/index.php?id=2087 (रूसी भाषा में).
3. Sharma, P.D. (2001). *Ecology and Environment*. Meerut: Rastogi Publications. P. 338.
4. कज़ाकिस्तान गणतंत्र का पर्यावरण और प्राकृतिक साधनों मंत्रालय (१९९८). *जैव—विविधता के सुरक्षा तथा बुद्धि—संगत उपयोग का राजकीय विवरण* (रूसी भाषा में). पृ. ८८.
5. Wildlife Institute of India, Ministry of Environment & Forests. "Protected Areas of India". *Protected Areas – Subject Area.* Web. 10 February 2016, http://wiienvis.nic.in/Database/Protected_Area_854.aspx.
6. Khati, Anand S. (1998). *National Parks of India*. New-Delhi (Noida): Pelican Creations Int. P. 56.
7. कज़ाकिस्तान गणतंत्र का ऊर्जा मंत्रालय (२०१५). *कज़ाकिस्तान गणतंत्र की पर्यावरण—स्थिती का राजकीय प्रतिवेदन.* वेब ९ सितंबर २०१५, http://energo.gov.kz/index.php?id=2087 (रूसी भाषा में).
8. कज़ाकिस्तान गणतंत्र का सरकार (२०००). *कज़ाकिस्तान गणतंत के विशेष सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों सन् २०३० तक के विकास तथा रखने की योजना* (रूसी भाषा में). पृ. २०.

Dhanashree Publications
Flat No. 01, Nirman Sagar CHS,
Thana Naka, Panvel, Raigad - 410206
www.research-chronicler.com